


Daily Current Affairs

Topic 1 :- चक्रवात 'रेमल'

चर्चा में क्यों :- हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा मध्य बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवात 'रेमल' के बारे में चेतावनी जारी की गई।

भारतीय मौसम विभाग के द्वारा सूचना प्रदान कि गई है की तूफान के बंगाल की खाड़ी से टकराने की संभावना 25 मई की शाम तक। जिस कारण अगले दिन चक्रवात के कारण हवाओं की रफ्तार 102 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

चक्रवात के कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अधिक प्रभावशाली होने की संभावना है, जिस कारण चक्रवाती तूफान आने की प्रबल संभावना है।



कौन कौन से राज्य होंगे प्रभावित :- उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर।

चक्रवात :- यह एक प्रकार का वायु परिसंचरण है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर तेजी से अंदर की ओर आता है।

चक्रवात में हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा (एंटीक्लॉकवाइज) में और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा (क्लॉकवाइज) में प्रवाहित होती है।

चक्रवातों के साथ होने वाली मौसमी घटनाएं :- तेज़ तूफ़ान आने की संभावना साथ ही ख़राब मौसम ।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है:- चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है।

चक्रवातों का नामकरण किसी क्षेत्र विशेष देशों के समूह द्वारा बारी बारी से किया जाता है :- हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण के लिए, 2004 में एक फार्मूले पर सहमति व्यक्त की गई । इस समूह के आठ देशों को सामिल किया गया है जो इस प्रकार है - भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका ,थाईलैंड और ओमान।

Topic 2:- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा इजरायल को गाजा में अभियान रोकने के लिए आदेश दिया गया

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक अपने एक निर्णय में आदेश दिया है की इज़राइल "राफा में अपने सैन्य आक्रमण को तुरंत रोके" ।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा यह कदम दक्षिण अफ्रीका के एक आवेदन पर उठाया गया है जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने पिछले सप्ताह एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें इसराइल के खिलाफ कई कदम उठाए जाने की मांग की गई थी। इसी आवेदन में दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल पर नरसंहार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया था।

न्यायाधीश नवाफ सलाम के द्वारा कहा गया है की जब से न्यायालय ने इसराइल को इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने का आदेश दिया तब से स्थिति और बिगड़ गई है। जबकि इजरायल के द्वारा सभी आरोपों का खंडन किया गया और ऑपरेशन को जारी रखने की बात कही गई ।



अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of justice-ICJ) :-

इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई ।

इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू । इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस में स्थित है
वर्तमान में उसमें 193 सदस्य देश है।

अधिकारी भाषाएं:- अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेन, रूसी

वर्तमान में इसके महा निदेशक अमेरिका के जोआन डोनोव है

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है

कार्य :- 1. राष्ट्रों के मध्य कानूनी विवादों को सुलझाना 2. संयुक्त राष्ट्र के अन्य भागों और विशेष एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देना

संरचना :-

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है

इन्हे संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुना जाता है

कार्यकाल :- नौ वर्ष

न्यायालय के किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद चुने जाते हैं जिससे इसमें निरंतरता बनी रहे

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों को चुना जाने का आधार

1. एशिया से तीन
2. अफ्रीका से तीन
3. पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से पाँच
4. लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से दो
5. पूर्वी यूरोप से दो

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए जाते।

न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं एक ही स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रावधान किया गया है कि किसी भी न्यायाधीश को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एकमत होकर यह अस्वस्थ ना कर दें की निम्नलिखित न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं है।

इन्हीं कठोर और निष्पक्ष प्रावधानों के द्वारा अभी तक किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले भारतीय न्यायाधीश :-

सर बेनेगल राव: 1952-1953

नागेंद्र सिंह: 1973-1988

रघुनंदन स्वरूप पाठक: 1989-1991

दलवीर भंडारी: 27 अप्रैल, 2012

विशेष:- संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों की स्थापना की: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय

बाकी सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है।

Topic 3 :- हिमालयन आइबेक्स

चर्चा में क्यों :- ब्लू शीप और हिमालयन आइबेक्स की आबादी की गणना करने के लिए हिमाचल प्रदेश में वन्यजीव अधिकारियों ने सर्वेक्षण शुरू किया।

हिमालयन आइबेक्स :

- यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले एक जीव है
- यह बकरी की प्रजाति है जिसके सींगों सामान्य से अधिक बड़े होते हैं
- इनका पर्यावास: हिमालय में 5500 मीटर तक, अल्पाइन चरागाहों में हैं।

कहां कहां पाए जाते हैं :- भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान तथा भारत से लगे अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में।

भारत में ये मुख्यत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और अन्य हिमालय राज्यों में पाए जाते हैं।

हिमालयन आइबेक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध किया गया है।



ब्लू शीप :-

इसे भरल के नाम से भी जाना जाता है

इनका पर्यावास: क्षेत्र मुख्य 2,500-5,500 मीटर तक ऊंचे पहाड़ों में खुली घास की ढलान वाले स्थल होते हैं।

यह मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश में पाए जाते हैं।

ब्लू शीप को IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है (IUCN) और Wildlife Protection Act, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है।

Wildlife Protection Act, 1972 अनुसूची II: –

इस सूची में आने वाले जानवरों को उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उनके संरक्षण के लिये उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है।

अनुसूची II शामिल भारतीय जानवर :-

असमिया मकाक, हिमालयी काला भालू (Himalayan Black Bear) और भारतीय नाग (Indian Cobra) आदि।